

झारखंड सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP9428883

9/11/2021



नामांतरण शुद्धि-पत्र

धनबाद	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	गोविन्दपुर	हत्का	हत्का-04						
झारखण्ड	3	भाग वर्तमान(VOL)	3	पृष्ठ संख्या वर्तमान	38	धाना न.	98						
केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व धाना न.	धाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. भाग पृष्ठ संख्या वर्तमान वर्तमान वर्तमान			कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	लगान	रजिस्टर 2 मचलन तिथि अभ्युक्ति			
28883	12748 R27 2021 - 2022	जयनगर/ 98	गोविन्दपुर	10/09/2021	By Sale Registration Deed 3698 Dated 06/08/2021	297	1	648	292	2023	6.05 डिसमील		
क्रेता का नाम : (RAVI KUMAR PRAJAPATI पिता-PAWAN KUMHAR, जाति—, पता-SHRI NAGAR PUTKI NEAR KALI MANDIR KUSUNDA PUTKI DHANBAD)			जमाबंदी रेयत का नाम : श्रीमती रिता देवी-पति-श्री विरेंद्र चौहान			विक्रेता का नाम : RITA DEVI, पति-BIRENDRA CHOUHAN, जाति—, पता-BARA JAMUA BARWADDA DHANBAD							
राजस्व कर्मचारी हत्का-04 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित। यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।					Signature valid ✓ Digitally signed by RAMJI VERMA अंचलाधिकारी गोविन्दपुर								

कोरोना के उड़ जाएंगे प्राण, जब सड़क पर न जाएं इन्सान।

Ravi Kumar Prajapati

# आदेश

दिनांक 10/10/2021

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन  
समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा जयनगर थाना गोविन्दपुर

खता	प्लॉट	रकबा
297	2093	0 एकड़, 6.05 डिसमील, 0 हेक्टर

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
RITA DEVI	पति	BIRENDRA CHOUHAN

है जिन्होंने निवधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 3698 दिनांक MMM d yyy के द्वारा  
आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्रीमती रिता देवी	पति	श्री विरेन्द्र चौहान

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त  
हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि  
का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।  
राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त  
नामान्तरण वाद को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **₹रुपये**  
स्वीकृत

किया जाता है।

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
RAMJI VERMA  
अंचलाधिकारी गोविन्दपुर

Ravi Kumar Prajapati